भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 38

उत्तर देने की तारीख 05 दिसंबर, 2023
14 अग्रहायण, 1945 (शक)

अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ द्वारा टीम चयन हेतु ज्योतिषी की सेवाएं लिया जाना

38. श्री एस. वेंकटेशन:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (एआईएफएफ) द्वारा टीम के सदस्यों के चयन के लिए ज्योतिषी की सेवाएं लिए जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के कृत्यों से देश की छवि खराब नहीं होती है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ को खिलाड़ियों की फिटनेस और क्षमता के अलावा अन्य मानदंड न अपनाए जाने की सलाह दिए जाने का विचार है अथवा सलाह दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

****

“अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ द्वारा टीम चयन हेतु ज्योतिषी की सेवाएं लिया जाना” के संबंध में श्री एस. वेंकटेशन द्वारा दिनांक 05.12.2023 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 38 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क) से (ङ) : अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (एआईएफएफ) द्वारा राष्ट्रीय टीम के सदस्यों के चयन हेतु ज्योतिषी की सेवाएं लेने का मामला, यदि कोई है, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का भाग है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय में “अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ बनाम राहुल मेहरा और अन्य” के मामले में 2022 के एसएलपी सं. 3047-48 के आदेशों के अनुसार स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया है ।

इस मामले में उक्त रिपोर्ट को विद्वान न्याय मित्र द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक मोहरबंद लिफाफे में विचारार्थ रखा गया है । यह मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

****